श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इंदौर -452007
दूरभाष- 0731-2432822 फेक्स – 0731-2536600
ई-मेल – lcmpwelfare@mp.gov.in वेबसाइट –http://labour.mp.gov.in

क्रमांक:- 17/7/अन्वे/पाँच/2024/ 8701- 56 इन्दौर, दिनांक 07/03/25

प्रति,

(1) समस्त उपश्रमायुक्त (म.प्र.)
(2) समस्त सहायक श्रमायुक्त (म.प्र.)
(3) समस्त श्रमपदाधिकारी/सहायक श्रमपदाधिकारी/श्रम निरीक्षक(म.प्र.)

विषय:- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का प्रभावी निर्धारण एवं वसूली सुनिश्चित करने संबंधी दिशा-निर्देश।

विषयांतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 के अंतर्गत उपकर निर्धारण के अधिकार विभिन्न स्तर पर विभागीय अधिकारियों को दिए गये हैं लेकिन नियमित समीक्षा के दौरान यह देखने में आया है कि अधिकारियों द्वारा संपादित उपकर निर्धारण का कार्य संतोषप्रद नहीं है।

उदाहरणार्थ:-

(i) अनेक निर्माण कार्यों को उपकर निर्धारण हेतु दर्ज नहीं किया गया है।
(ii) दर्ज किये गये प्रकरणों में म.प्र. लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा-5 माह में उपकर निर्धारण का पालन नहीं किया जा रहा है।
(iii) जिन प्रकरणों में आदेश पारित किये गये हैं उनमें उपकर वसूली के संबंध में सेस की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

उपकर निर्धारण एवं वसूली के संबंध में विधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 के अंतर्गत निर्मित नियम 4(4) के प्रावधानानुसार नगरीय क्षेत्रों में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों से निर्माण लागत के 1 प्रतिशत की दर से उपकर राशि वसूल करते हुये इसे मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल,भोपाल को अंतरित करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों की सीमा में निर्माण

उपकर की राशि संबंधित निर्माण एजेंसियों से वसूल करते हुये मंडल को अंतरित करने की कार्यवाही की जाती है,जिसके संबंध में प्रावधान व प्रक्रिया संबंधी वस्तुस्थिति व निर्देश निम्नानुसार है:-

नगरीय क्षेत्र

भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में निर्माण अनुज्ञा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों द्वारा प्रदान की जाती है। नगरीय निकायों द्वारा निर्माण लागत के 01 प्रतिशत की दर से उपकर की राशि जमा करने के उपरांत ही नक्शा अनुमोदन/अनुज्ञा दी जाती है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 के अंतर्गत निर्मित भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम,1998 के नियम 5(3) में यह प्रावधान है कि संबंधित निकाय उक्तानुसार वसूल किये गये उपकर की राशि को 30 दिवस की अवधि में मंडल को अनिवार्यत: प्रेषित करेगा, परंतु उपकर राशि की समीक्षा करने पर यह स्थिति समक्ष आयी है कि कतिपय नगरीय निकायों द्वारा या तो प्रावधानित से अल्प राशि जमा करायी जाकर मंडल को प्रेषित की जा रही है या वित्त वर्ष में वसूल की गयी उपकर राशि प्राय: वित्त वर्ष के अंत में ही मंडल को अंतरित की जा रही है, जबकि नियमानुसार वसूल किये उपकर की राशि को 30 दिवस का अवधि में अनिवार्यत: मंडल को प्रेषित किए जाने का प्रावधान है।

भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से प्राप्त होने वाले सेस राशि के विश्लेषण हेतु संचालक, शहरी विकास कार्यालय द्वारा विभिन्न जिलों के नगरीय निकायों द्वारा गत वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी तथा उनसे जमा कराए गए उपकर संबंधी जिलेवार/निकायवार विवरण प्राप्त किया गया है,जो परिशिष्ट 'अ' पर है।

उपकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु नगरीय निकायों से संबंधित सेस विषयक जानकारी पर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है:-

(अ) जो उपकर उक्त निर्माण कार्यों के विरुध्द संबंधित निकायों में जमा कराया गया है , उसे मंडल को निर्धारित मयावधि में अंतरित कराया जाना सुनिश्चित करना।

(ब) सूची में दिए गए निर्माण कार्यों का उपकर निर्धारण संबंधित उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं, इसका परीक्षण करना।

(स) जिन कार्यों का उपकर निर्धारण नहीं किया गया है अथवा वास्तविक निर्माण लागत से कम किया गया है,उन्हें तत्काल पंजीकृत किया जाकर उपकर निर्धारण समय सीमा में पूर्ण करते हुये उपकर की राशि मंडल में जमा की जाना सुनिश्चित करना।

उक्त निर्देशों के परिपालन में सभी नगरीय निकायों से समन्वय कर निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट-'अ' में संबंधित निर्माण कार्य के समक्ष दर्ज करते हुए जानकारी दिनांक 25/03/2025 तक अनिवार्यत: भेजी जावे।

<u>ग्रामीण क्षेत्र</u>

पंचायत राज निकायों में भी निर्माण कार्यों की अनुज्ञा जारी करने पर कर्मकार कल्याण उपकर जमा कराया जाना आवश्यक है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त के संबंध में कोई प्रक्रिया/सिस्टम निर्धारित नहीं है। इस कारण कतिपय पंचायत राज निकायों द्वारा उक्त उपकर जमा कराया जा रहा है,जबकि अन्य द्वारा नहीं। विदित हो कि शहरी सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भवन/कॉलोनी/औद्योगिक निर्माण कार्य सतत रूप से हो रहा है, परन्तु सेस कटौती व वसूली की कोई प्रक्रिया निर्धारित न होने से व्यापक स्तर पर सेस राशि की हानि संभावित है। उक्त संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

जनपद/जिला पंचायतों से समन्वय स्थापित कर सेस कटौती की जानकारी तथा कटौती किये सेस को बोर्ड में अंतरित कराया जाना सुनिश्चत कराएं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों हेतु विशेषकर व्यवसायिक परिसर, रेसिडेंशियल काम्पलेक्स आदि की भवन अनुज्ञा की सूची प्राप्त कर नियमानुसार उपकर निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चत करें। इसके साथ ही जिला कलेक्टर कार्यालय के कालोनी सेल से नवीन कालोनी की सूची प्राप्त कर उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चत करें।

<u>संलग्न : उपरोक्तानुसार।</u>

(रजनी सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

क्रमांकः- 17/7/अन्वे/पाँच/2024/ 8757-58 **इन्दौर, दिनांक** 07/03/25

प्रतिलिपि

1.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2. सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर